

Rule 23 : Revocation of cancellation of registration

- (1) A registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may ¹[, subject to the provisions of rule 10B,] submit an application for revocation of cancellation of registration, in **FORM GST REG-21**, to such proper officer, within a period of thirty days from the date of service of the order of cancellation of registration ²[or within such time period as extended by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner or the Commissioner, as the case may be, in exercise of the powers provided under the proviso to sub-section (1) of section 30,] at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for revocation shall be filed, if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax, in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the said returns.

³**Provided further** that all returns due for the period from the date of the order of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of registration shall be furnished by the said person within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration:

Provided also that where the registration has been cancelled with retrospective effect, the registered person shall furnish all returns relating to period from the effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration.]

- (2) (a) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in **FORM GST REG-22** within a period of thirty days from the date of receipt of the application and communicate the same to the applicant.
- (b) The proper officer may, for reasons to be recorded in writing,

1 Inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021. It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 38/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

2 Inserted by Noti. No. 15/2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.

3 Provisos inserted by Noti. No. 20/2019–Central Tax, dt. 23-04-2019 w.e.f. 23-04-2019.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

under circumstances other than those specified in clause (a), by an order in **FORM GST REG-05**, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant.

- (3) The proper officer shall, before passing the order referred to in clause (b) of sub-rule (2), issue a notice in **FORM GST REG-23** requiring the applicant to show cause as to why the application submitted for revocation under sub-rule (1) should not be rejected and the applicant shall furnish the reply within a period of seven working days from the date of the service of notice in **FORM GST REG-24**.
 - (4) Upon receipt of the information or clarification in **FORM GST REG-24**, the proper officer shall proceed to dispose of the application in the manner specified in sub-rule (2) within a period of thirty days from the date of the receipt of such information or clarification from the applicant.
-

नियम 23 : रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण

- (1) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर उचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, ¹[नियम 10ख के प्रावधानों के अधीन रहते हुए] प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर ²[या ऐसी अवधि के भीतर जो, धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए] या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निर्बंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ संदत्त नहीं की जाती।

- ³[**परन्तु** यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक कर अवधि के लिए बकाया सभी विवरणियां उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया गया है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।]

- (2) (क) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए, कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-22 में एक आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा।

1 अधिसूचना क्रमांक 35/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।
2 अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।
3 अधिसूचना क्रमांक 20/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ख) उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 के आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।
- (3) उचित अधिकारी, उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओ कि क्यों न उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-23 में सूचना जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी आरईजी-24 में सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।
- (4) प्ररूप जीएसटी आरईजी-24 में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन का निपटान करेगा।
-